

फर्द अहकाम
(नियम-26)

अज् अदालत सहायक कलक्टर (एस.डी.एम.) मुकाम जायल (नागौर)

प्रार्थीगण जेठाराम वगै
अप्रार्थीगण सरकार वगै
स्म प्रकरण : राजस्व प्रार्थना पत्र वनाम मुकदमा नं 57 / 2017 T II

| तारिख हुवम | हुवम या कार्यवाही इनिशियल जज | नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुवम की तामील में जारी हुये। |
|------------|--|--|
| 16.05.2017 | <p>यह प्रार्थना पत्र अधीन धारा 212 राजस्थान कारतकारी अधिनियम एवं सपठित धारा 151 सी.पी.सी. के तहत वकील श्री शिव कुमार पारासर ने पेश कर अस्थाई निशेधाज्ञा बाबत निवेदन किया।</p> <p>वकील प्रार्थीगण की एक पक्षीय सुनी गई। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन से मामला प्रथम दृष्टया प्रार्थीया के पक्ष में सुविधा का सुतलन तथा अपूर्णिय क्षति भी प्रार्थी के पक्ष में प्रतीत होने पर अप्रार्थीगण के विरुद्ध अस्थाई निशेधाज्ञा जारी कर आदेश दिया जाता है कि आगामी आदेश तक मौजा गुगरियाली के खेत खसरा नं 886/160 रकबा 15.01 बीघा , ख नं 887/654 रकबा 9 बीघा , ख नं 160 रकबा 11 बीघा , ख नं 369 रकबा 04.03 बीघा , ख नं 884/654 रकबा 9 बीघा भूमि के किसी भी भू- भाग में अतिक्रमण व नाजायज कब्जा न तो स्वयं करे न ही किसी अन्य से करावे एवं उपरोक्त भूमि के किसी भी भू भाग में सडक निर्माण का कार्य ना तो स्वयं न किसी अन्य से करावे एवं मौक पर राजस्व रिकार्ड में दर्ज रास्ते अनुसार ही मौके पर सडक निर्माण का कार्य करे। अप्रार्थीगण प्रार्थीगण के खातेदारी की भूमि के उपयोग एवं उपभोग एवं कब्जे कारत में किसी प्रकार से दखलअन्दाजी नहीं करे व नहीं किसी अन्य से करावे। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया जावे पक्षकरो को सम्मन जरिये रजिस्टर ऐडी भिजवाये। पत्रावली दिनांक 30.06.2017 को पेश हो।</p> | |



(Signature)
सहायक कलक्टर
(एस. डी. एम.) जायल (नागौर)

28/5


पत्रावली - न्याय आपराधिक शिबिर पूर्ण हो पर आज पेशी पर ली गई।

उनके समुदाय दिनांक 27-10-17 को प्रस्तुत करें।

पत्रावली/पत्रावली के अतिरिक्त

27.10.17

पत्रावली/पत्रावली के अतिरिक्त प्रस्तुत करें। 29-12-17


29-12-17 पत्रावली पेरा हुरी वकील खात्री
 तालिका हेतु नोटिस पेरा केरा
 पत्रावली तालिका हेतु डिग्रेड 4-4-18
 को पेरा हो। 

सहायक कलक्टर
 (एस. डी. ऑ.) नायब (नायब),

पत्रकार/प्रकाशक के अधिकार

4-4-18

पीठाधीन प्रकाशक की शिकायत में/पत्रकार
 अवकाश पर निलंबित है, इसलिए प्रकाशक
 उनके लक्ष्य दिनांक 2-7-18 को
 प्रस्तुत करें।

9-5-18 पत्रावली न्याय आप के द्वार शिविर में
 अल्प सेवा के रूप में गुजरानाली में
 पेरा हुरी नोटिस तालिका पेरा केरा
 हेतु अल्प-2 अल्प-3 के उपरान्त
 भी नोटिस तालिका पेरा नहीं कर
 रहे हैं। न्याय दिनांक में तालिका हेतु
 अल्प-2 अल्प-3 डिजा जाता है।
 वकील खात्री का आजी पेशी पर नोटिस
 तालिका पेरा केरा पत्रावली
 डिग्रेड 16-5-18 को पेरा हो। 

16-5-18 पत्रावली न्याय आप के द्वार
 शिविर में अल्प सेवा के रूप में
 में पेरा हुरी अल्प-2 कार्यविधि
 हो चुका है इसलिए अल्प-3 का पेरा
 को चलाने की कोरी आवश्यकता
 नहीं है। आजी पेशी कार्यविधि अल्प-2
 होकर नम्बर से कम होकर अल्प-2
 प्राप्ति हो। 